इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 2 सितम्बर 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
सूक्ष्मवित्त ----------5
विदेशी मुद्रा ----------5
बीमा ----------5
ग्रामीण बैंकिंग ----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड़ ----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं- ----------7
शब्दावली ----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा द्विस्तरीय शहरों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) को कुछेक शर्तों के अध्ययीन द्विस्तरीय शहरों में पूर्वानुमोदन के बिना शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, ताकि देश में बैंकिंग की पैठ बढ़ाई जा सके। अब तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस प्रकार की शाखाएं केवल त्रिस्तरीय शहरों में ही खोल सकते थे।

केवल सममूल्य पर चेक जारी करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोर बैंकिंग समाधान (CBS) समर्थ सभी बैंकों से चेकों के समाशोधन को अधिक कुशल बनाने के लिए ग्राहकों को केवल "सममूल्य पर देय" अथवा "बहु-नगरीय" चेक ही जारी करने के लिए कहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से खातों के जोखिम-श्रेणीकरण के आधार पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबन्धन कार्यविधियां लागू करने के लिए भी कहा है।

स्वत: सेवा बैंकिंग का प्रचलन बढ़ रहा रहा है

बैंक ग्राहक की सुविधा बढ़ाने और लेनदेन लागत एवं समय घटाने के लिए उनकी शाखाओं के बरामदे के सामने स्वत: सेवा बैंकिंग की अधिकाधिक रूप से शुरूआत कर रहे हैं। यह सहूलियत (सुविधा) ग्राहकों को शाखा में प्रवेश किए बिना ही वैकल्पिक बैंकिंग माध्यमों (चैनलों) यथा- एटीएमों, फोन बैंकिंग, चेक जमा मशीन और पास-बुक प्रिंटर- का उपयोग करने में समर्थ बना रही है। बताया जाता है कि भौतिक शाखा में एक ग्राहक पर वहन की जाने वाली प्रति लेनदेन लागत लगभग 50 रुपये होती है, जबकि इसी प्रकार के लेनदेन के लिए ई-बैंकिंग की लागत लगभग 10 रुपये पड़ती है।

बैंकिंग अधिनियम में परिवर्तन पर निर्णय लोकसभा करेगी

22 अगस्त के कमकाज की लोकसभा की सूची में इस बात का उल्लेख है कि वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 को संशोधित करने के लिए बैंककारी विधि (कानून) संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इस बिधेयक के अधिनियमन से भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों के सहयोगी उद्यमों से सूचना एवं विवरणियां मंगवाने और आवश्यक होने पर उनका निरीक्षण भी करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। उक्त विधेयक में मूल रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरधारकों के मताधिकार को 1% से बढ़ाकर 10% किए जाने का प्रस्ताव था। निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में उक्त विधेयक में मताधिकारों को सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकारों के 10% तक सीमित रखने के मौजूदा प्रतिबंध को हटाने का इरादा था।

बैंक-व्यापी पोर्टल उत्तम सेवा की खरीदारी करेगा

अब तक अपने निवेशयोग्य अधिशेष पर उच्चतर प्रतिलाभ चाहने वाले अथवा सबसे सस्ता ऋण चाहने वाले ग्राहकों को या तो विविध बैंकों की शाखाओं तक जाना पड़ता था या फिर उनकी वैयक्तिक वेब साइटों को सर्फ करना पड़ता था। किन्तु एक बैंक-व्यापी पोर्टल के परिणामस्वरूप ग्राहक इस नीरसता से बच सकते हैं- इसप्रकार काफी अधिक समय और ऊर्जा बचा सकते हैं। कोई व्यक्ति सभी बैंकों की जमाराशियों और ऋणों से सम्बन्धित ब्याज दरों की तुलना माउस को क्लिक करके कर सकता है। उक्त पोर्टल ग्राहकों के साथ बैंकों के लेनदेनों में पारदर्शिता भी ला सकता है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के प्रतिभूतिकरण हेतु मानदंड कठोर किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसके पूर्व केवल बैंकों को जारी किए गए मानक आस्तियों (ऋणों) के प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित दिशानिर्देशों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों तक भी विस्तारित कर दिया है। प्रवर्तक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ऋणों को केवल अपनी बहियों में एक न्यूनतम अवधि तक धारित करने के बाद ही प्रतिभूत कर सकती हैं। ये दिशानिर्देश प्रतिभूतिकरण को लेकर अस्वस्थ प्रथाओं अर्थात प्रवर्तक के ब्याज को निवेशकों के ब्याज में मिलाने और ऋण जोखिम को निवेशकों के व्यापक वर्णक्रम के बीच पुनर्वितरित करने के एकमात्र उद्देश्य से प्रतिभूतिकरण के लिए ऋणों के प्रवर्तन को रोकने के लिए जारी किए गए थे।

समूह कम्पनियों के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम की सीमाएं प्रस्तावित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समूहों (conglomerates) पर निगरानी रखने के लिए अंत: समूह लेनदेनों एवं निवेश (exposure) के प्रति बैंकों के ऋण जोखिमों के सम्बन्ध में सीमाएं प्रस्तावित की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के अपनी गैर-वित्तीय सेवा कम्पनियों में निवेश (exposure) को निवल मालियत के 5% तक तथा वित्तीय कम्पनियों में निवल मालियत के 10% तक सीमित रखने का प्रस्ताव किया है। सभी समूह कम्पनियों में किसी बैंक के निवेश को निवल मालियत के 20% तक सीमित कर दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक अपनी समूह कम्पनियों के साथ लेनदेन में एक सुरक्षित दूरी वाला सम्बन्ध बनाए रखें, समूह के जोखिम प्रबन्धन तथा समूह-वार असावधानी के सम्बन्ध में न्यूनतम अपेक्षाएं पूरी करें तथा अंत: समूह निवेश के सम्बन्ध में विवेकसम्मत सीमाओं का पालन करें।

उत्तरजीवी खण्ड के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को उनके खाता खोलने के फार्मों में "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" अथवा "पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी" खण्ड शामिल करने तथा उनके मौजूदा और उसके साथ ही साथ भावी सावधि जमा धारकों को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार का अधिदेश प्राप्त कर लिए जाने पर बैंक उत्तरजीवी जमाकर्ताओं द्वारा सावधि मीयादी जमाराशियों के समय-पूर्व आहरण की अनुमति मृत जमाकर्ता के कानूनी वारिसों की सहमति प्राप्त किए बिना ही दे सकते हैं। उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा समय-पूर्व आहरण पर किसी प्रकार का जुरमाना नहीं लागू होगा।

चेक नीति में प्रतिकर (मुआवजे) को शामिल करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से स्थानीय चेकों की वसूली के मामले में विलंबित अवधि के लिए देय प्रतिकर (मुआवजा) शामिल करने हेतु उनकी चेक वसूली नीतियां (CCPs) पुन: तैयार करने के लिए कहा है। स्थानीय चेकों की वसूली में विलंब के लिए चेक वसूली नीति में किसी दर का विनिर्देश न होने पर विलंब की समनुरूपी अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर प्रतिकर (मुआवजे) का भुगतान किया जाना होगा। बैंकों को अपनी संशोधित चेक वसूली नीतियां शाखाओं में और वेब साइटों पर दर्शानी होंगी।

विदेशी मुद्रा अर्जक वायदा संविदाओं से सम्बन्धित मानदंड शिथिल

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों के विदेशी मुद्रा अर्जनों और वायदा संविदा लेनदेनों पर विविध प्रतिबंधों में ढील दे दी है। उसने विदेशी मुद्रा अर्जकों के विदेशी मुद्रा खातों (EEFC) के लिए पूर्ण जमा की अनुमति वाली सुविधा बहाल कर दी है। हालांकि, यह छूट इस शर्त के अध्ययीन है कि किसी माह के दौरान उपचित राशियों को उत्तरवर्ती माह के अंतिम दिन से पहले या उस दिन रुपयों में परिवर्तित कर लिया जाएगा। निर्यातक शेष राशियों का समायोजन आगे वाली प्रतिबद्धताओं के

लिए कर सकते हैं। निर्यातकों को उनके ऋण जोखिमों को प्रतिरक्षित करने के लिए बुक की गई कुल संविदाओं के 25% की सीमा तक वायदा संविदाओं को निरस्त करने और पुन: बुक करने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

बैंक मुद्रा बाज़ार के जोखिमों को कम आंक रहे हैं

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने इस संभावना के विरुद्ध सुरक्षोपायों का सहारा लेने के लिए व्यापार का निपटारा किए जाने के पहले वे नष्ट हो सकते हैं ऋणदाताओं को दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया है। कई एक बैंक व्यापार के निष्पादन और उनके निपटारे के बीच ऋण जोखिम (exposure) की अवधि को पूरी तरह हिसाब में न लेकर उनके मुख्य और जुड़े हुए जोखिमों को कम आंक रहे हैं। जहां इस प्रकार के जोखिमों का प्रभाव बाज़ार की सामान्य स्थितियों के दौरान अपेक्षाकृत कम हो सकता है, वहीं वे बाज़ार पर दबाव के दौरान विषम रूप से व्यापक चिंताएं पैदा कर सकते हैं। जहां मुद्रा बाज़ार में सक्रिय बैंक और अन्य संस्थाएं व्यापार को अधिक सुदृढ़ बनाने के प्रयास कर रहे हैं, वहीं "पर्याप्त" निपटान जोखिम तीव्र वृद्धि के साथ बने ही रह जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नो फ्रिल्स खातों के पुनरीक्षण का निर्णय लिया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से नो फ्रिल्स खाते खोलने की वर्तमान प्रथा के स्थान पर मूलभूत बचत बैंक जमा खाते की प्रथा अपनाने के लिए कहा है। नो फ्रिल्स खातों में बैंकों को धारकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस प्रकार के खातों के नियमों में एकरूपता ला दी है। इन खातों के लिए न्यूनतम जमा शेष सम्बन्धी कोई अपेक्षा नहीं होगी तथा इन खातों के धारकों को बैंक शाखाओं में अथवा एटीएमों में जमा और आहरण; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनलों के माध्यम से धनराशि की प्राप्ति / जमा; केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की एजेन्सियों अथवा विभागों आदि पर आहरित चेकों के जमा किए जाने सहित सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सभी मौजूदा नो फ्रिल्स खाते मूलभूत बचत बैंक जमा खातों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का वैश्विक विस्तार

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से विदेशों - विशेष रूप से एशिया, लातीनी अमेरिका और अफ्रीका में - में विस्तार करने के लिए, किन्तु एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा किए बिना, आक्रामक रुख अपनाने के लिए कहा है। विकसित राष्ट्रों में व्याप्त मंदी का मुकाबला करने के लिए भारत के निर्यात बाज़ार के विशाखन की पृष्ठभूमि में इस मुहिम को महत्व प्राप्त हो जाता है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी ने कहा है, "हम जहां भारतीय कम्पनियां अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं वहां विस्तार करने के इच्छुक हैं। विदेशी विस्तार तभी सार्थक होता है, जब आप जमाराशियां संग्रहीत कर सकें। जमाराशियों के बिना केवल उधार देते रहने का कोई मतलब नहीं है।"

बैंकिंग जगत की घटनाएं

बैंक क्रेडिट कार्ड व्यवसाय बढ़ा रहे हैं

बढ़ते उपभोग व्यय और घटती चूकें बैंकों को उनके क्रेडिट कार्ड व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में बैंकों द्वारा जारी किए गए नये क्रेडिट कार्डों की संख्या में लगभग 3.60 लाख रुपये की वृद्धि हुई। जून के अंत में प्रचलन के अधीन क्रेडिट कार्डों की संख्या पिछले वर्ष के जून में 1.76 करोड़ के समक्ष 1.80 करोड़ थी। ग्राहकों की ऋण गणना क्रेडिट कार्ड कम्पनियों की सही ग्राहक को लक्ष्यित करने में सहायता कर रही है। बैंक क्रेडिट कार्डों को आकर्षक बनाने के लिए अच्छी सुविधाएं यथा- समीकृत मासिक किस्त (EMI) रूपांतरण सुविधा, सिनेमा और हवाई टिकटों के रूप में पुरस्कार अंक अथवा जीवन-शैली एवं परिधान ब्रॉण्डों के लिए वाउचरों जैसी उपलब्ध करा रहे हैं। बैंक एअरलाइनों और तेल कम्पनियों के साथ सह-ब्रॉण्डयुक्त कार्ड भी बेच रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छोटे आकार वाले ऋणों में 28% की वृद्धि हासिल

कारपोरेटों से ऋण की मांग में मंदी तथा सूक्ष्म वित्त कम्पनियों द्वारा ग्रामीण उधारों में कटौती सरकार की वित्तीय समावेशन कार्यसूची को आगे बढ़ाने के इच्छुक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। जहां निधियों के सबसे बड़े भक्षक (गटकने वाले) यथा- बिजली, सड़क एवं पत्तन परियोजनाएं विविध प्रकार की अड़चनों के कारण निष्क्रिय पड़ी हैं, वहीं बैंकों द्वारा की गई विशेष पहलकदमियों से सहायता पा कर कमजोर वर्गों को तथा ग्रामीण भारत में ऋणों में तेजी आ रही है। 50,000 रुपये तक के छोटे आकार वाले ऋणों में पिछले वर्ष में दर्ज 14% की वृद्धि के मुकाबले 28% की वृद्धि हुई।

वित्त मंत्रालय ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात जमाराशियों पर 7% ब्याज का सुझाव दिया

दरों को घटाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा उसके पास रखी जाने वाली अनिवार्य जमाराशियों पर 7% के ब्याज का भुगतान करे। मंत्रालय की राय यह है कि यदि भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति पुनर्खरीद (reverse repo) दर पर ब्याज का भुगतान करे, तो बैंक उनकी जमा दरों में कमी कर सकते हैं - इसप्रकार उधार दरों में गिरावट आ सकती है। वर्तमान में, आरक्षित नकदी निधि अनुपात दर 4.75% है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त प्रस्ताव को मान लेता है, तो बैंक निधियों के इस हिस्से पर 7% की प्रति-पुनर्खरीद दर अर्जित करेंगे, जिससे उन्हें निधियों की वह लागत घटाने में सहायता प्राप्त होगी, जिसे उधारकर्ताओं को प्रदान किया जा सकता है।

सरकार निर्यात ऋण को बढ़ावा देगी

सरकार विदेशों में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखने तथा विदेशी मुद्रा उपलब्ध रखने वाले बैंकों को विदेशों में उधार राशियों की व्यवस्था करने अथवा विदेशी बैंकों से ऋण की व्यवस्था करने की अनुमति दे कर निर्यातकों के लिए ऋण के अपेक्षाकृत अधिक प्रवाह की योजना बना रही है। वृद्धि में रुकावट का एक महत्वपूर्ण कारण है निवल बैंक ऋण के एक प्रतिशत के रूप में तथा निर्यात के एक प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण में क्रमिक गिरावट।

राज्य बिजली मंडलों को उधार देने हेतु सहायता संघीय दृष्टिकोण

वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से राज्य बिजली मंडलों (SEBs) के खातों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सहायता संघों का गठन करने के लिए कहा है। सम्बन्धित राज्य बिजली मंडल के प्रति सर्वाधिक ऋण जोखिम (exposure) रखने वाले बैंक को इस प्रक्रिया में नेतृत्व करना चाहिए। सहायता संघ-आधारित पुनर्व्यवस्था में कोई राज्य बिजली मंडल किसी एक ऋणदाता से दूसरे को चुकौती करने हेतु उधार नहीं ले सकता। इसके अलावा, सहायता संघ एक व्यवहार्यता योजना तैयार करता है तथा बिजली बोर्ड की निधीयन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त सहायता संघीय उधार बैंकों की जोखिम को बिखेरने में सहायता करता है और सभी प्रकार के प्रलेखन संयुक्त रूप से किए जाते हैं। ऋण पर भी निरंतर रूप से निगरानी रखी जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य दल सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विदेशी संस्थागत निवेश के पक्ष में

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित एक कार्य दल ने यह सिफारिश की है कि सरकारी ऋण में विदेशी संस्थागत निवेश (FII) चरणबद्ध रीति से अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। वैश्विक सहभागी होने की हैसियत से विदेशी संस्थागत निवेशक बाज़ार में अत्यधिक आवश्यक विचारों की विविधता और व्यापार के अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं । उक्त दल का गठन सरकारी बॉण्ड बाज़ार और ब्याज दर व्युत्पन्नियों में चलनिधि बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। उसने उस रोधन कर को समाप्त किए जाने की भी सिफारिश की है, जो सरकारी ऋण बाज़ार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की सहभागिता के मार्ग में महत्वपूर्ण रुकावट है। सरकारी बॉण्डों में खुदरा सहभागिता के लिए बैंकों और डाकघरों का उपयोग वितरण चैनलों के रूप में किया जा सकता है। सरकार वैयक्तिक निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉण्ड जारी कर सकती है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना आशोधित

भारतीय रिज़र्व बैंक ने किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्डों पर लिये गए ऋणों के सम्बन्ध में 12 माह की चुकौती अवधि को समाप्त कर दिया है। बैंक चुकौती अवधि का निर्धारण उन फसलों की प्रत्याशित कटाई और विपणन अवधि के आधार पर कर सकते हैं, जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया था। संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) के तहत मंजूर ऋणों के लिए आय निर्धारण,

आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के वर्तमान विवेकसम्मत मानदंड पहले की भांति ही लागू होते रहेंगे।

सिक्कों की आपूर्ति में कमी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी, 2012 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 44% प्रत्युत्तरदाताओं ने बताया कि दुकानदार सिक्कों के एवज में कोई मद दिया करते हैं। लगभग 56% को रेज़गारी देने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिक्के किसी भी स्रोत से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। 11% प्रत्युत्तरदाता सही रेज़गारी का चयन करने, गिनने और देने में समय गंवाना नहीं चाहते थे। 27% वाला एक और वर्ग सिक्के ढोना नहीं चाहता था।। उक्त सर्वेक्षण जनता से सिक्कों की अनुपलब्धता के सम्बन्ध में बढ़ती शिकायतों के अनुसरण में किया गया था। अधिसंख्य प्रत्युत्तरदाताओं ने 1 रुपये (44%) और 5 रुपये (34%) वाले सिक्कों को सर्वाधिक आवश्यक सिक्के बताया। उक्त सर्वेक्षण ने भारतीय रिज़र्व बैंक को जनता से सिक्कों की मांग और आपूर्ति / वितरण से सम्बन्धित अड़चनों से बेहतर ढंग से निपटने का मार्ग सुझाया है। मार्च, 2012 के अंत में प्रचलन के अधीन सिक्कों की संख्या (मार्च, 2011 के अंत में 11,218.4 करोड़ की तुलना में) घट कर 7802.9 करोड़ रह गई थी।

सरकारी प्रतिभूतियों को बेचने हेतु बैंकों, डाकघरों की सहायता ली जा सकती है

भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) में खुदरा निवेशकों को शामिल करने के लिए बैंक शाखाओं और डाकघरों का उपयोग वितरण चैनलों के रूप में किया जा सकता है। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्रति खुदरा निवेशकों को तभी आकर्षित किया जा सकता है, जब विविध प्रकार के लघु बचत वाले लिखतों पर प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों को उतनी ही अवधियों वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल दरों के अनुरूप लाया जाएगा।

विनियामकों के कथन

दर में कमी मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि भारत ब्याज दरों में कमी लाने पर केवल तभी विचार कर सकता है, जब मुद्रास्फीति के घटने के अत्यधिक स्थिर संकेत दिखाई देने की शुरूआत हो जाए। "हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। वह हमेशा मुद्रास्फीति के जोखिमों और वृद्धि के जोखिमों के बीच संतुलन रखने वाली है और मूल्य सम्बन्धी अभिलाभ वर्तमान में प्रबल खतरा है।" जुलाई में मुद्रास्फीति घट कर 6.87% के 32 माह के कम स्तर पर आ गई,; तथापि वह ब्राजील, रूस, भारत और चीन (BRIC) की अर्थव्यवस्थाओं के बीच सर्वोच्च है।

ई-भुगतानों की पैठ अधिक गहन नहीं हुई

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने मत व्यक्त किया है कि "भारत के लिए नकदी से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों की ओर सक्रिय रूप से स्थानांतरण करना आवश्यक है। बड़े मूल्य वाले भुगतान संभवत: विनियामक आदेश के कारण अधिकांशतया इलेक्ट्रॉनिक विधि से किए जाने लगे हैं। निराशाजनक रूप से खुदरा भुगतान प्रणालियां कागज़-केन्द्रित बनी हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों की पैठ अधिक गहन नहीं हो पाई है। यद्यपि मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग में वृद्धि हो रही है, ग्राहकों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अपवंचित ही रह गया है। जहां निजी बैंकेतर संस्थाओं/ कम्पनियों ने मोबाइल बटुओं (wallets) सहित पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों की शुरूआत कर दी है, बाज़ार में गहनता आनी अब भी शेष है।"

व्यक्तियों को भी पुनर्संरचित ऋण

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती का कहना है कि "बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे व्यक्तियों और छोटे स्तर वाले व्यवसायों के लिए भी ऋण पुनर्संरचना व्यवस्था के साथ आगे आएं। वे यह कार्य करने का दायित्व शाखा प्रबन्धक पर नहीं छोड़ सकते।" उन्होंने यह कहा कि यह मिथक है कि ऋण पुनर्संरचना में उछाल के लिए केवल खराब आर्थिक स्थितियां ही जिम्मेदार हैं। कुछेक उधारकर्ताओं ने आर्थिक उत्कर्ष के दौरान अत्यधिक उधार ले रखे थे।

आधार दरों को मौद्रिक स्थितियों के अनुरूप समायोजित करें

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली से मौद्रिक स्थितियों के प्रति अनुक्रियाशील रहने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि बैंक अपनी आधार दरों को समायोजित करें। बैंक आधार दरों में कटौती करने के प्रति उदासीन रहे हैं, क्योंकि वे चलनिधि में मौजूद कठोरता के कारण जमा दरों को तदनुरूपी विधि से युग्मित करने में असमर्थ हैं। यदि बैंक जमा दर में कटौती किए बिना केवल आधार दर में कटौती करते हैं, तो उनके मार्जिन संकुचित हो जाएंगे। बैंक मौद्रिक नीति में परिवर्तनों के प्रति शीघ्रतापूर्वक अनुक्रिया करने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे स्थिर लागतों को एक विस्तृत समयावधि तक आगे ले जाते हैं तथा उन्हें उसे वसूल करना जरूरी होता है।

पुनर्संरचित ऋणों में ऋण वृद्धि की अपेक्षा तीव्र वृद्धि

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने कहा है कि मार्च, 2009 से मार्च 2012 के बीच बैंकिंग प्रणाली के कुल सकल अग्रिमों में 20% से कम की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई, जबकि पुनर्संरचित मानक अग्रिमों में 40% की वृद्धि दर्ज हुई। बैंक-व्यापी कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना (CDR) योजना के अधीन पुनर्संरचित किए जा रहे अग्रिमों की संख्या और उनके परिमाण में

असाधारण वृद्धि के कारण इस व्यवस्था की ओर भारतीय रिज़र्व बैंक का ध्यान गया है। कुल सकल अग्रिमों की तुलना में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों का अनुपात मार्च, 2011 के 3.45% से बढ़ कर मार्च 2012 में 4.68% हो गया। पुनर्संरचना में हुई यह वृद्धि आंशिक रूप से उत्कर्ष की अवधि के दौरान कुछेक उधारकर्ताओं द्वारा अतिशय लाभ उठाए जाने के कारण हो सकती है।

भारतीय बैंक सूखे के प्रभाव से निपटने में सक्षम

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी चक्रवर्ती ने कहा है कि "भारतीय ऋणदाता कम बरसात के कारण सूखे जैसी स्थिति से पैदा हुए कृषि ऋणों पर दबाव से निपटने में पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। सूखे निश्चित रूप से कृषि ऋणों पर दबाव निर्मित करते हैं, किन्तु इसका सामना करने के लिए हमारे पास बैंकों के लिए पर्याप्त पुनर्वास उपाय मौजूद हैं।"

वर्ष 2012 में आर्थिक परिदृश्य 1001 के परिदृश्य से बिल्कुल विपरीत

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बा राव का कहना है कि "अत्यधिक राजकोषीय घाटा, ऐतिहासिक रूप से अधिक चालू खाते का घाटा, भुगतान संतुलन की पराश्रित स्थिति ..... जैसी प्रचुर तुलनाएं हैं, किन्तु वर्ष 2012 की भारतीय अर्थव्यवस्था 1991 वाली उस स्थिति के बिल्कुल विपरीत है, जब उसके चूक करने का खतरा उपस्थित हो गया था।" उन्होंने यह भी कहा कि "किन्तु इसके बावजूद हमें मूलभूत सुविधा क्षेत्र को अड़चन-रहित करने, कौशल उन्नयन, राजकोषीय समेकन, केन्द्र और राज्यों में अभिशासन में सुधार तथा संघवाद की चुनौतियों का प्रबन्धन करने के उद्देश्य से कार्य करना है।"

सूक्ष्मवित्त

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्था-गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के ऋण मूल्य-निर्धारण की लोच में छूट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऋणों के मूल्य-निर्धारण सहित विनियामक छूटों की लड़ियों की घोषणा की है। सूक्ष्म वित्त संस्था- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है, जिसके द्वारा अलग-अलग ऋणों पर वसूल की जाने वाली ब्याज दर इसके पूर्व वाली 26% से अधिक हो सकती है। हालांकि, वैयक्तिक ऋणों के लिए अनुमत न्यूनतम एवं अधिकतम ब्याज दर के बीच अधिकतम अंतर 4% से अधिक नहीं हो सकता। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान औसत ब्याज दर उस अवधि के दौरान उधार लेने की औसत लागत और निर्धारित सीमा के भीतर मार्जिन से अधिक नहीं हो सकती। ब्याज दर से सम्बन्धित सीमा समाप्त कर दिए जाने के बावजूद भारतीय रिज़र्व बैंक ने (100 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण संविभाग

वाली) बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मामले में मार्जिन पर 10% और अन्यों के मामले में 12% की सीमा बनाए रखी है।

सिबिल (CIBIL) सूक्ष्म वित्त संस्था उधारकर्ताओं के इतिवृत्त समेकित करेगा

ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड (CIBIL) पंजीकृत सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs), सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नेटवर्क (MFIN) के साथ मिल कर उधारकर्ताओं के ऋण इतिवृत्त पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी करने की योजना बना रहा है। यह कार्य सूक्ष्म वित्त संस्था खण्ड में बढ़ती चूकों और इस समय बहुत से ऋणदाताओं द्वारा नयी उधार राशियां बढ़ाने हेतु की जा रही प्रतिस्पर्धा की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड सूक्ष्म वित्त संस्था उधारकर्ताओं की एक प्रमाणिक सूची प्राप्त करने तथा तदनुसार ऋण गणना उपलब्ध कराने के लिए उद्योग के साथ मिल कर काम कर रहा है। यह अधिप्रमाणन महत्वपूर्ण है तथा पहचान प्रक्रिया के लिए सभी आंकड़ों को एक साथ रखे जाने की आवश्यकता है। ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड व्यवसायी संस्थाओं के लिए जोखिम सूचकांक लागू करने की भी तैयारी कर रहा है। यह बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु 1-5 वाले मान के साथ जुड़ी एक वैश्विक कार्यविधि है।

विदेशी मुद्रा

सितम्बर 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बबदली

	लिबोर	अदला-बदली	

मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.03200	0.422	0.501	0.656	0.865
जीबीपी	1.40525	0.8028	0.8325	0.9180	1.0680
यूरो	0.75357	0.514	0.637	0.788	0.984
जापानी येन	0.54514	0.314	0.316	0.341	0.386
कनाडाई डालर	2.03650	1.420	1.488	1.578	1.671
आस्ट्रेलियाई डालर	4.48200	3.145	3.205	3.409	3.500
स्विस फ्रैंक	0.35940	0.098	0.133	0.210	0.318
डैनिश क्रोन	0.76250	0.5575	0.6575	0.8420	1.0335
न्यूजीलैंड डालर	3.47600	2.715	2. 850	3.008	3.163
स्वीडिश क्रोनर	2.70000	1.700	1.735	1.780	1.873

स्रोत : विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	24 अगस्त 2012 के दिन	24 अगस्त 2012 के दिन
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 081, 2	2, 90,179.3
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 281.0	2, 57,872. 5
ख) सोना	1, 435, 1	25, 714. 7
ग) विशेष आहरण अधिकार	242, 9	4, 386.0
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	122.2	2, 206.1

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का आधा सरकारी बॉण्डों में

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मार्च के दिन देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का लगभग आधा अंश सॉवरेन प्रतिभूतियों में तथा लगभग 10% सोने में निवेश कर रखा है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास 557.75 टन (विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का लगभग 9.2%) सोना रखा है, जिसमें से 265.49 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) के पास निक्षेप के रूप में रखे हुए हैं। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का भारतीय रिज़र्व बैंक का यह निवेश सुरक्षा और चलनिधि के उद्देश्यों से प्रेरित है। इन उद्देश्यों में प्रतिलाभ को अधिकतम करने का लक्ष्य भी अंतर्निहित है।

बीमा

इर्डा द्वारा जीवन बीमे के अभ्यर्पण हेतु अनुकूल नियमों पर विचार

जीवन बीमा उत्पादों की डिज़ाइन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के दिशानिर्देशों के प्रारूप में पारंपरिक पॉलिसियों के लिए एक न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य (GSV) का प्रस्ताव है। ये अभ्यर्पण मूल्य बीमाकर्ताओं द्वारा अमल में लाए जा रहे मूल्यों से उल्लेखनीय रूप से अधिक हैं। तदनुसार, यदि कोई पॉलिसी सात वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय रही हो, तो बीमाकर्ता को कम से कम प्रीमियम की रकम वापस चुकानी होगी। किसी पॉलिसी के कम से कम तीन वर्ष तक सक्रिय रहने पर पॉलिसी धारकों को उनके प्रीमियमों के आधे जितनी रकम वापस मिल जाएगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यह चाहता है कि सभी वैयक्तिक गैर-सम्बद्ध जीवन

बीमा और पेंशन उत्पाद यूनिट सम्बद्ध बीमा योजनाओं में पहले से यथा- मौजूद एक न्यूनतम गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य अभिगृहीत करें।

ग्रामीण बैंकिंग

समति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवहार्यता मानकों, मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा करेगी

सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के व्यवहार्यता मानकों तथा उनकी जनशक्ति आयोजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, क्योंकि वह अपने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम में इन ऋणदाताओं को प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग के साथ अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका सौंपना चाहती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के कार्यपालक निदेशक श्री एस.के. मित्रा की अध्यक्षता में एक छ: सदस्यीय समिति यह समीक्षा करेगी। सरकार चाहती है कि उक्त समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बड़े पैमाने की किफायतों की जांच करें तथा इस बात का पता लगाए कि क्या एक नयी प्रौद्योगिकी में स्थानांतरण के बाद वे लाभदायक रहेंगे। उक्त पैनल कर्मचारी नियुक्ति के स्वरूप और नियोजन नीतियों मे परिवर्तनों का सुझाव भी देगा, क्योंकि इन बैंकों से अत्यधिक छोटी शाखाओं की स्थापना करने के अलावा शीघ्र ही विशाल एटीएम और कारबार संपर्की (BCs) नेटवर्क आरंभ किए जाने की आशा की जाती है।

नयी नियुक्तियां

- श्री जसबीर सिंह की भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।
- श्री अरविंद मायाराम की भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल में एक निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है।
- श्री शरद शर्मा को स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री शान्तनु आंबेडकर की एचएसबीसी इंडिया के प्रबन्ध निदेशक और निजी बैंकिंग शाखा के प्रधान के रूप में नियुक्ति की गई है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	दि इंडियन कोस्ट गार्ड	कोस्ट गार्ड कार्मिकों के लिए बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान के लिए
एचडीएफसी बैंक	वनअसिस्ट	सभी क्रेडिट कार्ड धारकों को कार्डों, मोबाइल हैंडसेटों तथा महत्वपूर्ण प्रलेखों की चोरी के समक्ष संरक्षित करना
सिंडिकेट बैंक	आईडीबीआई म्युच्युअल फंड	उत्पाद प्रस्तावों को विस्तृत करने के अभियान में उनके पारस्परिक निधि उत्पादों का वितरण करना
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	वैयक्तिक और वाणिज्यिक वाहनों के वित्तीयन के लिए
डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर	टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज	उसके सामाजिक उद्यमशीलता स्नातकों को प्रारंभिक निधीयन और वृद्धिशील निधीयन प्रदान करने हेतु
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	असेट रिकन्सट्रक्शन कम्पनी (ASREC) इडिया लिमिटेड	बैंक की प्राप्य राशियों को वसूल करना
आईडीबीआई बैंक	एसएमई रेटिंग एजेन्सी ऑफ इंडिया लिमिटेड	उसके मौजूदा और संभाव्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) ग्राहकों का मूल्यांकन करना

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यूरो उद्धार निधि : जर्मन न्यायालय की स्वीकृति पर बैंकों द्वारा उत्सव का आयोजन

यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (EFSF) ने यह आशा व्यक्त की है कि यूरो क्षेत्र की जमानत (bailout) निधि, यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ESM) को जर्मन न्यायालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। जमानत निधि के सम्बन्ध में निर्णय - एक ऐसा निर्णय जिस पर पूरे यूरोप में गहनतापूर्वक नज़र रखी जाएगी, क्योंकि इस निधि की शुरूआत जर्मन अनुमोदन के बिना नहीं की जा सकती, और सॉवरेन ऋण संकट से निपटने के लिए यूरो नेताओं द्वारा प्रस्तावित राजकोषीय समझौते की घोषणा 12 सितम्बर को की जाएगी। जर्मनी यूरो क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रस्तावित यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ESM) एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे यूरो क्षेत्र के सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। प्रस्तावित रूप से लक्जमबर्ग में स्थित यूरोपीय स्थिरता व्यवस्था (ESM) यूरोपीय वित्तीय स्थिरता सुविधा (EFSF) और यूरोपीय वित्तीय स्थिरता व्यवस्था (EFSM) जैसे अस्थायी निधीयन कार्यक्रमों को प्रतिस्थापित करेगी।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश:)

दबाव परीक्षण की कार्यप्रणालियां

दबाव परीक्षणों में कई एक कार्यप्रणालियों का समावेश होता है। इनकी जटिलताएं सामान्य संवेदनशीलता परीक्षणों से लेकर जटिल दबाव परीक्षण तक अलग-अलग हो सकती हैं, जिनका लक्ष्य किसी गंभीर स्थूल-आर्थिक दबाव की घटना का अर्जन एवं किफायती पूंजी जैसे उपायों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना होता है। दबाव परीक्षण संयोजन किसी एकल लिखत के स्तर से लेकर संस्थागत स्तर तक के अलग-अलग स्तरों पर किए जा सकते हैं। दबाव परीक्षण बाज़ार, ऋण, परिचालन और चलनिधि जोखिम सहित भिन्न-भिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए किए जा सकते हैं। कार्यप्रणालियों की यह व्यापक श्रृंखला चाहे जो भी क्यों न हो, संकट ने कतिपय प्रणालीगत कमजोरियों को रेखांकित किया है। सर्वाधिक मूल स्तर पर मूलभूत सुविधा में कमजोरियों ने पूरे बैंक में एक्सपोजरों की पहचान करने और उनका संयोजन करने के प्रति बैंकों के सामर्थ्य को सीमित कर दिया है। यह कमजोरी दबाव परीक्षण सहित जोखिम प्रबन्धन साधनों की प्रभावशीलता को सीमित कर देती है।

दबाव परीक्षणों सहित अधिकांश जोखिम प्रबन्धन मॉडेल जोखिमों का निर्धारण करने हेतु परंपरागत सांख्यिकीय सम्बन्धों का उपयोग करते हैं। वे यह मानते हैं कि जोखिम एक ज्ञात और स्थिर सांख्यिकीय प्रक्रिया द्वारा प्रेरित होता है यथा वे मानते हैं कि पारंपरिक सम्बन्धों में भावी जोखिमों के विकास के पूर्वानुमान का अच्छा आधार मौजूद होता है। संकट ने इस प्रकार के दृष्टिकोण पर निर्भर रहने की कमजोरियों को उजागर किया है।

पहला, स्थिरता की लम्बी अवधि को ध्यान में रखते हुए विमुखी लगने वाली पारंपरिक सूचना से सुखद स्थितियों का पता चलता था, इसलिए ये मॉडेल न तो गंभीर आघातों की संभावना और न ही प्रणाली के भीतर सुभेद्यता के जमावों का पता लगा सके। सह-सम्बन्ध जैसे पारंपरिक सांख्यिकीय सम्बन्ध वास्तविक घटनाओं के सामने आने की शुरूआत होने पर अविश्वसनीय लगने लगे।

दूसरा, वित्तीय संकट ने पुन: यह प्रदर्शित कर दिया कि विशेषत: दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिम की विशेषताएं द्रुत गति से परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि प्रणाली के भीतर वाले बाज़ार के सहभागियों द्वारा व्यक्त प्रतिक्रियाएं प्रति-सूचना के प्रभाव को प्रोत्साहित कर सकती हैं तथा इसके परिणामस्वरूप प्रणाली-व्यापी हस्तक्षेप हो सकते हैं। जैसा कि हाल की घटनाओं से प्रकाश में आया है ये प्रभाव प्रारभिक आघातों को नाटकीय रूप से प्रवर्धित कर सकते हैं।

चरम प्रतिक्रियाएं (परिभाषा के अनुसार) कभी-कभार ही होती हैं और वे उन मॉडेलों को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं, जो पारंपरिक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। इसका यह भी अर्थ हुआ कि वे मात्रात्मक रीति से मॉडेल करने में कठिन हैं। अधिकांश बैंकों के प्रबन्धन ने दबाव परीक्षण के परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त अधिक पारंपरिक जोखिम प्रबन्धन मॉडेलों की इन सीमाओं पर पर्याप्त रूप से न तो प्रश्न उठाए और न ही उन्होंने नवोन्मेषकारी तदर्थ दबाव परिदृश्य विकसित करने के लिए गुणवत्तापरक विशेषज्ञ निर्णय को पर्याप्त रूप से ध्यान में रखा। अतएव बैंकों ने सामान्यतया इनके, उदाहरण के लिए बाज़ार में चलनिधि के अभाव तथा निधीयन चलनिधि के दबावों बीच मौजूद सुदृढ़ अंतर-सम्बद्धता का न्यून अनुमान लगाया। पारंपरिक सम्बन्धों पर निर्भरता और प्रणाली के भीतर वाली प्रतिक्रियाओं की उपेक्षा से यह ध्वनित हुआ कि फर्मों ने जोखिमों और गंभीर दबाव परिदृश्यों के फर्म-व्यापी प्रभाव का न्यून अनुमान लगाया।

संकट के पूर्व, अधिकांश बैंक वह दबाव परीक्षण नहीं करते थे जिसने सभी जोखिमों और विभिन्न बहियों में एक व्यापक फर्म-व्यापी परिप्रेक्ष्य ग्रहण कर लिया । यदि वे करते भी थे, तो वे दबाव परीक्षण जोखिमों की पहचान करने और उन्हें संयोजित करने की दृष्टि से अपर्याप्त होते थे। फलत: बैंकों के पास उनके विविध व्यवसायों के ऋण, बाज़ार और चलनिधि जोखिमों के बारे में कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं होता था। उपयुक्त रूप से किए गए फर्म-व्यापी दबाव परीक्षणों ने पूरे संगठन में विशेषज्ञों को सुविधाजनक रूप से एक साथ ला दिया होता। उदाहरण के लिए खुदरा ऋणदाताओं की विशेषज्ञता, जो कुछेक मामलों में अमरीकी अव-मूल (subprime) बंधकों के प्रति एक्सपोजर में कमी ला रहे थे, को उन्हीं अव-मूल (subprime) ऋणों द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में व्यापारियों की अतिशय आशावादी प्रत्याशाओं का प्रतिकार करना चाहिए था।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

शून्य न्यूनतम सहमति सीमा

एक ऐसी खुदरा प्राधिकरण प्रणाली जिसमें किसी व्यापारी के सभी जमा अथवा नामे लेनदेनों की कार्ड की देय बकाया शेष राशियों और / अथवा संसाधन से पहले विगत प्राप्य राशियों अथवा सीमा से अधिक आहरण वाले खातों के बारे में किसी चेतावनी बुलेटिन सूचीकरण की आवश्यक रूप से जांच की जानी चाहिए। न्यूनतम सहमति सीमा से आशय है वह सीमा जिससे अधिक वाले जमा अथवा नामे लेनदेनों के लिए प्राधिकरण आवश्यक होता है - जब वह सीमा शून्य हो, तो सभी लेनदेनों के लिए, उनका आकार चाहे जितना भी क्यों न हो, प्राधिकरण की आवश्यकता होती है।

शब्दावली

सहायता संघ

दो या उससे अधिक व्यक्तियों, कम्पनियों अथवा सरकारों से निर्मित ऐसा समूह जो एक चुने हुए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करता है। सहायता संघ में शामिल प्रत्येक संस्था / कम्पनी / व्यक्ति उन देयताओं के सम्बन्ध में केवल समूह के प्रति उत्तरदायी होता है, जो सहायता संघ की संविदा में वर्णित हों। अतएव, वह प्रत्येक संस्था / कम्पनी / व्यक्ति जो सहायता संघ में शामिल है, अपने सामान्य व्यवसाय के कार्यकलापों से स्वतंत्र रहता है तथा अन्य सदस्य के उन कार्यकलापों में, जो सहायता संघ से सम्बन्धित न हों, कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता।

संस्थान की गतिविधियां

आईआईबीएफ, लीडरशिप सेंटर में सितम्बर, 2012 की प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1	व्यापार वित्त	3 से 7 सितम्बर
2	संपदा प्रबन्धन	10 से 12 सितम्बर

आईआईबीएफ, लीडरशिप सेंटर में सितम्बर, 2012 के दौरान निष्पादित प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	सहभागियों की संख्या
1	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा कार्यशाला	4 अगस्त	13
2	खुदरा बैंकिंग उत्पादों की वित्तीयन एवं विपणन	6 से 10 अगस्त	18
3	अनुपालन कार्य कार्यशाला	24 अगस्त	22

संस्थान समाचार

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ

संस्थान अक्तूबर 2012 के बाद से आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजेगा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, यदि वे पहले न पंजीकृत कराए गए हों, तो तत्काल पंजीकृत करा लें। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

नयी प्रमाणपत्र परीक्षाएं

संस्थान ने दिसम्बर 2012 और उसके बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, ग्रामीण बैंकिंग परिचालन, व्यक्तियों के लिए साइबर अपराधों की रोकथाम और धोखाधड़ी प्रबन्धन तथा सूक्ष्मवित्त में नयी प्रमाणपत्र परीक्षाओं की शुरूआत की है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

वार्षिक साधारण सभा (AGM)

85वीं वार्षिक साधारण सभा 12 सितम्बर, 2012 को सायं 4 बजे इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस, कारपोरेट कार्यालय, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई में आयोजित की जाएगी।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण

संस्थान ने 15 जून, 2012 से साधारण सदस्यता के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है। इसके बाद से संस्थान पंजीकरण हेतु सदस्यता फार्म और मांग ड्राफ्ट नहीं स्वीकार करेगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

सदस्यता शुल्क में सेवा कर का समावेश

सेवा कर के कारण साधारण आजीवन सदस्यता शुल्क में 185 रुपये की वृद्ध हो गई है। संशोधित साधारण सदस्यता शुल्क 1,685 रुपये है।

कागज़ रहित (नयी) पहलकदमी

कृपया संस्थान के ास मौजूद अपने ई-मेल पते को अद्यन करवा लें, ताकि वह भाविष्य में वार्षिक रिपोर्टें ई-मेल द्वारा भेज सके।

भूल सुधार : आईआईबीएफ विज़न अगस्त 2012

पृष्ठ 1 पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात 4.5% के रूप में दर्शाया गया है, जिसे 4.75% के रूप में पढ़ा जाए। त्रुटि के लिए खेद है।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

8.10
8.00
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.40
7.30

01/08/12 02/08/12 04/08/12 06/08/12 07/08/12 10/08/12 11/08/12 13/08/12 14/08/12 21/08/12 22/08/12 24/08/12

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- पहले सप्ताह के दौरान एक दिवसीय मांग दरें स्थिर रहीं वह 8.15 और 7.90 की श्रेणी में घटती-बढ़ती रही।
- 14वीं को मांग मुद्रा दरें 10वीं को 8% के बंद वाले स्तर से 8.15% के उच्चतर स्तर पर बंद हुईं।
- 28वीं को मांग दरों में थोड़ी कमी आई तथा वे 7.95% के कमतर स्तर पर बंद हुईं।
- 30वी को मांग मुद्रा दर 8% के स्थिर स्तर पर बंद हुई। यह 8.05% से 7.80% के बीच घटती-बढ़ती रही।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50

02/08/12 03/08/12 05/08/12 08/08/12 13/08/12 16/08/12 21/08/12 23/08/12 24/08/12 27/08/12 28/08/12 30/08/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 2री अगस्त को मुंबई में रुपया 0.7% टूट कर प्रति डालर 55.84 हो गया, जो ब्लूमबर्ग द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार 23 जुलाई के बाद से सबसे बड़ी गिरावट थी।
- ब्लूमबर्ग द्वारा समेकित आंकड़ों के अनुसार 9वीं को रुपया 0.2% की बढ़त लेकर प्रति डालर 55.30 हो गया।
- इस चिंता के कारण कि अपर्याप्त बरसात से कृषि पैदावार प्रभावित होगी और खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी 13वीं को रुपया 0.1% लुढ़क कर प्रति डालर 55.3 हो गया।
- 21वीं को रुपया 17 अगस्त के 55.58 प्रति डालर के के मुकाबले 0.3% चढ़ा, जो ब्लूमबर्ग के अनुसार 7 अगस्त के बाद से सर्वाधिक बढ़ोतरी है।
- 27वीं को हाजिर बाज़ार में 55.69 के मुकाबले 55.68 के रूप में रुपये में कुछ बदलाव दिखा।
- 29वीं को रुपया 0.1% की बढ़त लेकर प्रति डालर 55.63 हो गया।
- माह के दौरान अमरीकी डालर और जापानी येन के समक्ष रुपये में क्रमश: 0.2% और 0.5% की मूल्यवर्धन हुआ, जबकि स्टर्लिंग और यूरो के मुकाबले क्रमश: 1.56% और 2.2% मूल्यह्रासित हुआ।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18000
17900
17800
17700
17600
17500
17400
17300
17300
17200

01/08/12 06/08/12 07/08/12 09/08/12 13/08/12 14/08/12 17/08/12 21/08/12 27/08/12 29/08/12 30/08/12

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न सितम्बर, 2012